न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 25/2025

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
शंकरलाल बामणिया पूर्व पटवारी वेलांगरी हाल भू.अभिलेख निरीक्षक, रामपुरा तहसील व जिला सिरोही		जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/भू.अ./वि.जा./08/1880 दिनांक 10.03.2008 के द्वारा अपीलान्ट की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, सिरोही उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 17 नवम्बर,2025

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2008 पारित करते हुए उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर राज0 असैनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 25.10.2024 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर से अपील पर जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही से उनकी विभागीय टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार श्री जगदीश कुमार, तहसीलदार सिरोही को दिनांक 07.10.2025 को सुना गया।

3. अपीलाण्ट ने जैर अपील को अंदर मियाद शुमार करने हेतु राज. असैनिक सेवायें नियम 25 बाबत् अपील की परिसीमा तय (Delay condone) करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.10.2024 में वर्णित कथनो को दौहराते हुये निवेदन गया किया कि CCA नियम 24 के अनुसार उक्त आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अनुशासनिक अधिकारी को युक्तियुक्त समय के अन्दर मुझ अपीलार्थी कार्मिक को निःशुल्क देने का प्रावधान है। उक्त नियम 24 के तहत मुझ

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थी को उक्त आदेश की एक निःशुल्क प्रतिलिपि अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करवायी गई। CCA नियम 24 के तहत मुझ अपीलार्थी कार्मिक के अधिकारों का हनन हुआ है, इसी बिनाय पर उक्त आदेश की जानकारी मुझ कार्मिक को पदोन्नत्ति के वक्त तक नहीं हुई। पूर्व समय में अपीलान्ट पटवारी/निरीक्षक (भू.अ.) के पद पर Field Services में रहा है, जिससे की अपील के बारिकीय नियमों की जानकारी नहीं है। मेरी पदोन्नति बाबत् जिला कलेक्टर (भू.अ.) शाखा से सम्पर्क करने पर दिनांक 10.09.2024 को हुई कि उक्त आदेश के कारण मेरी पदोन्नति नहीं हो सकी। दिनांक 11.09.2024 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वास्ते रिकॉर्ड शाखा में आवेदन किया गया जो प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 01.10.2024 को प्राप्त हुई। अतः उक्त अपील अन्दर म्याद है। पूर्व में भी कई बार जिला कार्यालय से सम्पर्क कर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वास्ते मौखिक एवं क्रमशः दिनांक 27.03.2008, 29.09.2008, 29.03.2016 को भी प्रतिलिपि वास्ते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, मगर नकल प्राप्त नहीं हुई। अन्ततः दिनांक 11.09.2024 को पुनः प्रार्थना पत्र देने पर नकल प्राप्त हुई। ऐसे में अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 01.10.2024 को प्राप्त होने से अपीलान्ट की अपील CCA नियम 25 अन्तर्गत अन्दर मियाद है। अतः नियम 25 के प्रावधान अनुसार अपील अन्दर मियाद (परिसीमा) में शुमार करते हुए Delay Condone फरमावे।

4. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 08.10.1993 को जिला जालोर, तहसील सांचौर, पटवार मंडल हरियाली में हुई थी। तब से आज तक 31 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कभी भी प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। अपीलार्थी का पटवार सर्कल वेलांगरी में पदस्थापन दिनांक 12.03.1996 से 18.08.2003 तक रहा, जिसमें जनवरी 2003 से अप्रेल 2004 तक अतिरिक्त चार्ज के रूप में पटवार मण्डल सरतरा का कार्य भी सम्पादित किया। उक्त पदस्थापन अवधि में अपीलार्थी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से समय पर करता रहा, फिर भी तत्समय के तहसीलदार महोदय ने बिना किसी ठोस आधार व कारणों के अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहने लगे। अपीलार्थी कथित पूर्वग्रहों का खुलासा इस अपील में न कर व्यक्तिगत सुनवाई के समय करना आवश्यक व उचित समझता है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उन पर आरोपित आरोपों की विषय वस्तु के सम्बन्ध में संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक होने से यह उल्लेख कर रहा है कि ––

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

1. निजी कुंआ गहरा कराने की अकाल सहायता योजना के अन्तर्गत (1) उकाराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी बालदा (2) जब्बरसिंह पुत्र वनेसिंह राजपूत निवासी सरतरा के निजी कुंआ गहरा कराने संबंधी अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मस्टरोल में प्रारम्भिक गहराई अंकित न करने से उसे त्रुटिपूर्ण मानने से आरोप संख्या 2 व 3 निराधार मढ़कर अपीलान्ट पर आरोप पत्र सर्व किया गया।
2. संवत् 2059 वर्ष 2003 में भयंकर अकाल की स्थिति में काश्तकारों को राज्य सरकार की तरफ से रोजगार देने एवं राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत निजी कुएं गहरे करवाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के द्वारा जारी किये गये। उसमें काश्तकार उकाराम पुत्र मुला जाति कुम्हार निवासी बालदा का एवं जब्बरसिंह पुत्र वनेसिंह राजपूत निवासी सरतरा का निजी कुंआ गहरा करवाने के आदेश जारी किये गये थे।
3. उक्त आदेश जारी करने से पूर्व संबंधित काश्तकार से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे उस आवेदन पत्र की जॉच बतौर पटवारी हल्का सरतरा अपीलार्थी के द्वारा की गई थी। जिसमें प्रार्थी काश्तकार का कुएं का खसरा नम्बर, कुंए का व्यास एवं कुंए की प्रारम्भिक गहराई वगैरा जाँच कर अपने हस्ताक्षर किये गये थे। उक्त फार्म के आधार पर कुंआ गहरा करवाने की स्वीकृति आदेश जारी हुए थे।
4. आदेश जारी होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आदेश की शर्त संख्या 7 के अनुसार कुंए की गहराई एवं व्यास की जांच कर हल्का पटवारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस शर्त की पालना मेरे द्वारा की जाकर रिपोर्ट की गई थी। आदेश की शर्त संख्या 2 के अनुसार कार्य का मूल्यांकन तथा मस्टरोल पारित करने का कार्य कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति/हल्का पटवारी/भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा किया जायेगा।
5. अपीलान्ट के द्वारा उक्त दोनों लाभार्थी को प्रथम बार मस्टरोल दिनांक 01.04.2003 अवधि 02.04.2003 से 04.10.2003 तक जारी किया गया था एवं नाप दिनांक 10.04.2003 को लिया गया था। यह कार्य पटवारी हल्का के लैण्ड रेकर्ड रूल्स नियम 1957 के तहत अपने पदीय कर्त्तव्य से भिन्न एवं अलग किस्म का था।
6. अकाल राहत के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की पालना में काश्तकारो के हित का कार्य होने से चुनौती मानकर प्रथम बार मस्टरोल पर मजदूरी टॉस्क निर्धारण किया। प्रथम बार कार्य होने से न तो पटवारी हल्का को जानकारी थी न ही इस कार्य

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

का कोई पूर्व में अनुभव था और न कोई तहसील या जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्य के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था। न ही कुंए की प्रारम्भिक गहराई मस्टरोल पर लिखने का ऐसा कोई कॉलम था।

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि आरोप संख्या 3 में एक काश्तकार उका पुत्र मुलाजी कुम्हार के कुएं की प्रारम्भिक गहराई 43.5 फिट थी जो उक्त अवधि में नाप 43.5 फीट से 50 फीट तक खुदाई हुई थी अर्थात उक्त अवधि में नाप 6.5 फीट की गहराई तक कुंए की खुदाई हुई थी। उसी 65 फीट गहराई के अनुसार मस्टरोल पर मेजरमेन्ट किया गया था। उक्त मस्टरोल प्रारम्भिक गहराई का व्यास, कुल राशि का हिसाब–किताब निर्देशानुसार एक रजिस्टर में लाभार्थी के खाते में संधारित किया जाता था। ऐसे में कुंए की प्रारम्भिक गहराई त्रिस्तरीय दर्ज होती थी। ऐसी स्थिति में मस्टरोल पर प्रारम्भिक गहराई न लिखी गई थी तो अपीलार्थी की इसमें कोई लापरवाही या अनियमितता नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरुद्ध तत्कालीन तहसीलदार व ऑफिस कानूनगो ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्यवाही की गई थी एवं जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलार्थी के जवाब एवं पेश किये गये साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं फरमाया गया था। इस कारण से अपीलान्ट को अपील पेश करने का मानस बनाना पड़ा। इसी प्रकार आरोप संख्या 4 में जब्बरसिंह पुत्र वनेसिंह राजपूत निवासी सरतरा ने मस्टरोल अवधि दिनांक 02.04.2003 से 04.10.2003 में कुंए की प्रारम्भिक गहराई नहीं बताई जाकर कुंए की गहराई 4.5 फीट की खुदाई कार्य होता बताया गया है जो किस आधार पर बताई गई है, उसके लिए अपीलार्थी को दोषी मान लिया गया।

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि उक्त प्रार्थी के कुंए की प्रारम्भिक गहराई 24 फीट थी एवं उसी सप्ताह में कुंए का खुदाई कार्य 24 फीट से 28.5 फीट तक हुआ था अर्थात् 4.5 फीट कुंए का खुदाई कार्य हुआ था और उसी के अनुसार 4.5 फीट कुंए का खुदाई कार्य होने से इस अवधि के मस्टरोल पर उसी अनुरूप मस्टरोल पर मेजरमेन्ट का मजदूरी टास्क का कार्य किया गया था। मस्टरोल पर प्रारम्भिक गहराई न लिखना कोई भारी अनियमितता या भूल नहीं थी। शेष पैरा संख्या 4 के बिन्दु संख्या (3) से (5) के अनुसार है। इस छोटी सी मानवीय त्रुटि को इतना बडा मानकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार उक्त आरोप संख्या 2 व 3 के प्रस्तुत प्रत्युत्तर से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी ने उक्त आरोपों का जवाब तथ्यात्मक एवं रेकर्ड के आधार पर जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया, लेकिन उनके द्वारा आरोप संख्या 4 व 7 के जवाब को गंभीरता पूर्वक विचार व मनन नहीं किया गया था।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपील प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का कारण यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट के द्वारा कई बार जिला कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकले दी जाने हेतु निवेदन किया गया था उसके उपरान्त भी समय पर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली। अब प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2008 को निरस्त फरमाकर अपीलार्थी को आरोप संख्या 2 व 3 से दोष मुक्त घोषित किया जाकर अपीलान्ट की असंचयी प्रभाव से रोकी गई एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

9. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री जगदीश कुमार, तहसीलदार सिरोही ने जिला कलेक्टर, सिरोही की ओर से प्रस्तुत टिप्पणी को ही बहस माने जाने का कथन किया तथा कहा कि उनके द्वारा जो लिखित बहस पेश की गई है,उसे ही उनकी ओर से अन्तिम बहस माने जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर सिरोही महोदय के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये दण्डादेश को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया। विभागीय पैरोकार ने यह कथन किया कि अपीलान्ट पर आरोप निर्धारण करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। अपीलान्ट के द्वारा कुएं के संधारण रजिस्टर में कुओं की प्रारम्भिक गहराई एवं व्यास का इन्द्राज तो किया गया था लेकिन सम्बन्धित अवधि के मस्टर रोल पर कुओं की प्रारम्भिक गहराई का अंकन नहीं करने से अपीलार्थी को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश जारी होने के बाद अपीलाधीन आदेश की प्रति अपीलार्थी को दिनांक 14.03.2008 को सर्व/तामील करवाई गई थी। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

10. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील पर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व अपील के मियाद बिन्दू को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट ने अपील को अंदर मियाद शुमार करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 में CCA नियम 24 के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2008 की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अनुशासनिक अधिकारी को युक्तियुक्त समय के अन्दर निःशुल्क देने का प्रावधान होने तथा अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जाने का कथन किया है तथा उक्त आदेश की जानकारी उन्हें पदोन्नत्ति के वक्त तक नहीं होने का उल्लेख किया है। तब पदोन्नति बाबत्

सम्भागीय अ
जोधपुर

जिला कलेक्टर (भू.अ.) शाखा से सम्पर्क करने पर दिनांक 10.09.2024 को उक्त आदेश की जानकारी होना बताया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2008 की प्रति तहसीलदार, आबूरोड को भिजवाये जाने पर निर्णय की एक प्रति पर तहसीलदार, आबूरोड के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 14.03.2008 को उपलब्ध कराकर उनसे प्राप्ति प्राप्त की गई है। ऐसे में अपीलान्ट का यह कथन की उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी मियाद अवधि में नहीं हो पाई, बिल्कुल ही निराधार एवं असत्य प्रतीत होता है। अपीलान्ट कार्मिक जो कि राजस्व कर्मचारी है तथा विभागीय/कार्यालय के नियमों की भलीभांति जानकारी रखता है, तो ऐसे में नहीं माना जा सकता कि उन्हें इस प्रकार के आदेशों के विरूद्ध अपील करने हेतु मियाद सम्बन्धी नियमों की जानकारी नहीं थी, मानने योग्य नहीं हो सकता है। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उनके उच्च पद पर होने वाली पदोन्नति के समय अपीलाधीन आदेश की बाधा आने के कारण यह मियाद बाधित अपील पेश कर दण्डादेश को निरस्त करवाये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों पर गहनता से मनन एवं चिन्तन करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील मियाद बाधित होने से मियाद बाहर प्रस्तुत की जाने के आधार पर खारिज योग्य है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2008 को यथावत जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर